न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 99/2015 वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0 का0 अधिनियम
GCMS No. - 2015/00647

अमृतराम पिता उदा भील निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा।

बनाम

तुलसीराम पिता वेणीराम भील निवासी भाटीयो का खेडा तहसील निम्बाहेडा

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11—डी

:: आदेश:: दिनांक:— 29.11.2024

1. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठिया ने दिनांक 10.08.2020 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 डी का पेश किया जिसमें अंकित किया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ग्राम मांगरोल की खाता सं0 446 के बाबत प्रस्तुत कर रखा हे, तथा ग्राम मांगरोल की खाता सं0 446 की सम्पूर्ण आराजीयात की घोषणा वादीगण द्वारा अपने नाम पर चाही है, जब कि प्रतिवादी क्रमांक 1 तुलसीराम व प्रतिवादीया कमांक 2 कंकुबाई द्वारा उक्त आराजीयात में दर्ज अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 5 शंकरलाल पिता उंकारलाल मीणा को दिनांक 16.02.2015 को हस्तांरीत किया जा चुका है, उक्त विक्रय पत्र जो प्रतिवादीगण तुलसीराम व कंकु बाई द्वारा प्रतिवादी कमांक 5 शंकरलाल के पक्ष में निष्पादीत किया गया है, के विरूद्ध वादीगण द्वारा अनुतोष अपने वाद में चाहा गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा किसी विक्रय पत्र को निरस्त करने का अनुतोष नही दिया जा सकता है, एवं ना ही ऐसे सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर निष्पादीत किए गए विक्रय पत्र के विरूद्ध ही अनुतोष दिया जा सकता है, चुकि विक्रय पत्र निरस्तीकरण से सम्बंधीत सम्पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है, तथा विक्रय पत्र को चेलेंज करने का पूर्ण समय भी वादी द्वारा व्यतीत किया जा चुका है, तथा उक्त वादग्रस्त आराजी से सम्बंधीत तथा विक्रय पत्र निरस्तीकरण से सम्बंधीत कोई प्रकरण सिविल कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त वाद आदेश 7 नियम (डी) जा०दी० से बाध्य होने से वाद वादीगण इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे।

2 वादीगण के अधिक्ता श्री इन्दरलाल भाम्बी ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का दिनांक 10.08.2020 को जवाब पेश किया तथा अपने जवाब में अंकित किया की वादीगण द्वारा खाता संख्या 446 की सम्पूर्ण आराजीयात की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है। अन्य तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 का उक्त [illegible]ीत आराजीयात में कोई कब्जा व स्वामित्व नहीं होने के कारण इनके द्वारा दिनांक 16.02.2015 को प्रति० सं० 5 के हक में कराया गया हस्तांतरण शुन्य है। रेवेन्यू रेकार्ड में इन्ट्री होने से कोई स्वामित्व प्राप्त नही हो सकता है। वादी द्वारा कृषि आराजीयात को लेकर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को ही है। वादी द्वारा किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र को निरस्त कराने का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्यो कि विक्रय पन्त्र प्रारम्भ से ही शुन्य है प्रतिवादी सं० 1 व 2 का उक्त आराजीयात में न तो कोई स्वामित्व है ना ही कभी कब्जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:49:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

उक्त संपूर्ण आराजीयात 60–70 वर्षों से लगातार बिना किसी बाधा के वादी के कब्जे में चली आ रही है, इसलिये प्रतिवादी कमांक 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होकर खारीज होने योग्य है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु आप न्यायालय में वाद पेश किया है जो आप न्यायालय द्वारा ही विचारण योग्य है।

3. प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 डी जा0दी0 पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया की आवेदन पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा निवेदन किया की प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11–डी जा0दी0 खारिज किया जावें। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हमारे विनम्र मत में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में पेश प्रकरण धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। वादीगण ने उक्त वाद विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। विक्रय पत्र के आधार पर वाद की पालना का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। जिससे प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना तथा वाद वादीगण का निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। है। न्यायालय हाजा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व तर्कों से पूर्णतया सहमत है जो निम्न नजीरें है:–

1. डीएनजे 2021 (3) राजस्थान पेज 1120
2. एस0ए0आर 2020 (सीव) पेज 793
3 एस0ए0आर 2020 (सीव) पेज 924
4. डीएनजे 2024 (1) राजस्थान पेज 169
5. आरआरटी 2024 (1) एससी पेज 693
6. एसएआर 2024 एससी पेज 583

अतः प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 डी जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण निरस्त किया जाता है।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:49:34 IST
Reason: SelfAttested